कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक 404 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30-7- 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगटू तक विस्तार कार्य हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/144679/2021.

संदर्भ:– आपका पत्रांक 743/FP/UK/ROAD/144679/2021 दिनांक 16.09.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 193 / 12–1 दिनांक 11.07.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है।

बिन्दु सं0 6 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग 4.375 किमी0 के अन्तर्गत कुल 28 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जो कि वन संरक्षक द्वारा अलग से स्थलीय निरीक्षण न करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25.08.2021 के आधार पर ही अपनी सहमति व्यक्त कर संस्तुति की जाती है। अतः उक्त मोटर मार्ग की तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि तीन प्रतियों में।

भवदीय

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः– 193 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 11 जुलाई, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य के वन भूमि हेतु 0.945 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हेतु 0.945 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपो0सं0 (FP/UK/ROAD/144679/2021)**

सन्दर्भः– **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 743/FP/UK/ROAD/** 144679/2021 दिनांक 16.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है, साथ ही सम्बन्धित आपत्तियों के अभिलेख आपके कार्यालय में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित –

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	विषयसूची में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न परियोना की ल0 एवं चौड़ाई के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रस्ताव में संलग्न परियोना की ल0 एवं चौड़ाई के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर करा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4.	प्रस्ताव में वर्तमान दरों के अनुसार आस–पास रिक्त पड़े स्थानों /100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न करे।	प्रस्ताव में वर्तमान दरों के अनुसार आस–पास रिक्त पड़े स्थानों /100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रस्ताव में संलग्न वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करा ऑनलाइन अनलोड कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
6.	बांज वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक के संस्तुति अपेक्षित है।	–
7.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में नाप भूमि में 0–10 व्यास वर्ग के 10 बांज वृक्ष एवं 10–20 के 54 बांज वृक्ष अंकित किये गये है। कृपया उक्त क्षेत्र का स्वंय स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/ प्रस्तावक विभाग से ग्राम में जिन व्यक्तियों के खेतों में उक्त वृक्ष है, का खसरा नम्बर, माानचित्र तथा उक्त व्यक्तियों का बांज वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में नाप भूमि में 0–10 व्यास वर्ग के 10 बांज वृक्ष एवं 10–20 के 54 बांज वृक्ष अंकित किये गये है। अतः उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग से ग्राम में जिन व्यक्तियों के खेतों में उक्त वृक्ष है, का खसरा नम्बर, माानचित्र तथा उक्त व्यक्तियों का बांज वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कर ऑनलाइन अनलोड कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
8.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 कोको रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।